न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2023	तारीख रजू 13.10.2023	तारीख फैसला 15-4-2026

इरफान खां पुत्र बाजोली, जाति गद्दी (मुसलमान), निवासी फलसांवटा, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर, प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बरनाला अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट

आदेश दिनांक: 15-4-2026

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट में प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1247/888 रकवा 1.03 है., 893 रकवा 1.49 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकवा 2.52 हैक्टेयर वाके ग्राम गोठ, तहसील बरनाला प्रार्थी व नसरुद्दीन की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिन्हें प्रार्थी व नसरुद्दीन ही काश्त कर अपने उपयोग, उपभोग व प्रयोग में लेते चले आ रहे हैं। प्रार्थी व नसरुद्दीन की उक्त भूमि से किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 893 रकवा 1.49 हैक्टेयर के उत्तरी दिशा की ओर सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 895 रकवा 0.91 हैक्टेयर स्थित है, जिसके बाद मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रास्ता खसरा नम्बर 896 स्थित है । प्रार्थी मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 896 से सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 895 में होकर ही अपने पूर्वजों के समय से अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आता जाता रहा है तथा उक्त भूमि में बने रास्ते का उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन के लिए एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 895 में स्थित रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है, जो करीब 25 फिट चौड़ाई का उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल भाग से दर्शित किया गया है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने हेतु यही एक मात्र निकटतम रास्ता है, प्रार्थी को अपनी उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु एवं कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 896 से निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 895 में होकर ही बनता है तथा यही रास्ता मौके पर पूर्व से ही बना हुआ भी है, परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो रहा है । उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा अदा करने तथा विकल्प में सिवायचक (सरकारी भूमि) की भूमि में से रास्ते के रूप में उपलब्ध कराई

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाने वाली भूमि के रकवे के समान ही प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से रकवा छोड़ने को भी तैयार है । प्रार्थी उक्त रास्ते में होकर शुरू से ही आमद रफ्त करता रहा है परन्तु अब अप्रार्थी के मन में बदयांति आ गई है और उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि दर्ज होने के आधार पर आये दिन प्रार्थी को इस भूमि में होकर उसके आवागमन में परेशानी पैदा करता रहता है तथा रास्ता बंद करने की धमकी देता है, परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों का कोप भाजन भी होना पड़ता है तथा पटवारी हल्का आये दिन उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियाँ देता रहता है । कागजात् सरकारी लैण्ड रिकॉर्ड रैवन्यू में उक्त रास्ते का कोई अंकन नहीं हो रहा है, जिससे कि प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का कोपभाजन भी समय समय पर होना पड़ता है । मौके पर अर्से दराज से बने हुए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] मौके के अनुसार तरमीम करने का एक मात्र अधिकार [illegible] कर्मचारी व श्रीमान् जी को प्राप्त है तथा यह [illegible] व्यों में भी शुमार है । इसके उपरान्त भी यदि श्रीमान् जी [illegible]देश फरमाते हैं तो प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बावत नियमानुसार अप्रार्थी को मुआवजा राशि भी अदा करने को तैयार है, विधि अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु न्यायहित में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है, जिससे कि प्रार्थी अपनी भूमि पर आ जा सकें व कृषि यंत्र ला ले जा सके व भूमि का उपयोग उपभोग कर सके । अनुतोष में निवेदन किया है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 893 रकबा 1.49 हैक्टेयर में आने जाने हेतु व अपनी कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी हाल खसरा नम्बर 895 में से 25 फिट चौड़े रास्ते, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है, को रास्ता दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें । इस बारे में न्यायालय यदि मुआवजा राशि अदा करने हेतु आदेश फरमाता है तो प्रार्थी उक्त आदेश की तदनुसार पालना करने को भी तैयार हैं तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है ।

अप्रार्थी को उक्त आशय के प्रार्थना पत्र के सम्मन प्रेषित किया गया । अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया है कि प्रार्थी की उक्त भूमि का विभाजन हो जाने के कारण वर्तमान में खसरा नम्बर 893 [illegible] 893 व 1247/888 के स्थान पर 1364/1247 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि ग्राम गोठ के खसरा नम्बर 1368/893 व 1364/1247 तक पहुँचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में कोई गैरमुमकिन रास्ता दर्ज नहीं है । खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि पर पहुँचने के लिए राजस्व ग्राम गोठ के खसरा नम्बर 896 गैरमुमकिन रास्ता से खसरा नम्बर 895 में होकर नजदीक है । प्रार्थी यदि गैरमुमकिन नदी में होकर आता है तो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि दूर पड़ती है । प्रार्थी को सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 895 सिवाय चक भूमि में होकर है, जो सरकारी भूमि है ...... आदि ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 893 व 1247/888 प्रार्थी व नसरुद्दीन की खातेदारी की भूमि है, जिसके वर्तमान में विभाजन होने के पश्चात् खसरा नम्बर 893 के नवीन खसरा नम्बर 1368/893 व 1247/888 के 1364/1247 बने हैं तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में पहुँचने हेतु खसरा नम्बर 895 के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है । खसरा नम्बर 895 में होकर ही प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने हेतु तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ता है, [illegible] वैकल्पिक रास्ता इस रास्ते के अतिरिक्त मौजूद [illegible] यह तथ्य तहसीलदार बरनाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी स्पष्ट है । प्रार्थी के पास इस रास्ते के अतिरिक्त वर्तमान में अन्य कोई निकटतम या रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है । ऐसे में विधि का भी यही

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिद्धान्त है और धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट में भी प्रावधित किया गया है कि यदि किसी खातेदार के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो निकटतम भूमि में होकर उसे रास्ता दिया जावेगा और रास्ते हेतु भूमि का निर्धारित मुआवजा राशि रास्ता प्राप्त करने वाले पक्षकार से लिया जाकर जिस खसरा नम्बर की भूमि में से रास्ता दिया जावेगा, उसके खातेदारान को वह मुआवजा राशि अदा की जावेगी ।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने हेतु तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु हाल खसरा नम्बर 895 में से संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार लाल रंग के अनुसार 25 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोठ, तहसील बरनाला में स्थित गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 896 से प्रार्थी को अपनी खातेदारी [illegible] भूमि खसरा नम्बर 893 व 1247/888 (जिसके [illegible] वर्तमान नम्बर 893 के स्थान पर 1368/893 व 1247/888 के स्थान पर 1364/1247 बना है) में पहुँचने हेतु नजरी नक्शे में दर्शित

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लाल रंग के अनुसार 25 फिट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 895 में होकर है, अप्रार्थी की भूमि से जो भूमि रास्ते के लिए ली जावेगी, उसकी पैमाईश की जाकर पैमाईश के अनुसार भूमि अप्रार्थी के खाते से कम की जावे तथा रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि की अध्यतन दर से डी.एल. सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी से राजकोष में जमा करवाई जावे तथा अप्रार्थी की भूमि में से रास्ते के लिए ली गई भूमि को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने से पूर्व प्रार्थी से उक्त भूमि बाबत मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें । प्रार्थी द्वारा राजकोष में राशि जमा कराये जाने के उपरान्त उक्त राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार भुगतान किया जावे । आदेश की पालना हेतु अप्रार्थी को तहरीर जारी की जावे ।

(प्रियंका कड़ेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रियंका कड़ेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner